



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अल्पकालीन निविदा क्रमांक ⁴⁰⁰⁷ दिनांक 14-05-18

निविदा की शर्तें :

आवश्यक टिप्पणी:

निविदादाता को निविदा में अपनी दर देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढना चाहिए:

1. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (डाउनलोड करने की) समयावधि :-
17-05-18 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 17-06-18 पूर्वान्हः 11:00 बजे तक
2. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (अपलोड करने की) समयावधि :-
17-05-18 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 07-06-18 अपरान्हः 01:00 बजे तक
3. ऑनलाइन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय :-
07-06-18 दिनांक अपरान्हः 02:00 बजे । वित्तीय बिड खोलने की तिथि अलग से सूचित की जायेगी ।

निविदादाता द्वारा प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति माह की दर ईप्रोक्योरमेंट वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध निविदा सूचना की वित्तीय बिड (बीओक्यू-एक्सेल शीट) में निम्न प्रकार से ही भरी जाकर निविदा अपलोड की जावे ।

विश्वविद्यालय के भवनों की सुरक्षा हेतु 40 सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी

क सं	सेवा का प्रकार	सुरक्षा प्रहरी को देय मासिक पारिश्रमिक (मकान किराए भत्ते सहित) जो की REXCO/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम ना हो	ई.पी.एफ. प्रतिशत	दर	ई.एस.आई. दर प्रतिशत	GST की राशि	फर्म के प्रीमियम की राशि प्रतिमाह प्रति सुरक्षा प्रहरी दर (समस्त कर सहित)
1	भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

2

क्रमांक	विवरण	निविदादाता द्वारा भरने योग्य कॉलम
1	निविदादाता/कम्पनी का नाम, स्थायी पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
2	पत्राचार हेतु पूरा पता	
3	घरोहर राशि/ निविदा शुल्क/आर आई एस एल को देय डिमांड ड्राफ्ट संख्या, बैंक का नाम, शाखा व दिनांक	
4	फर्म पूर्व में कभी ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं की गई है एवं फर्म के विरुद्ध पूर्व में कभी अपराधिक पुलिस कार्यवाही नहीं की गई है, न ही माननीय न्यायालय द्वारा कभी दंडित किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई विजिलेंस जॉच लंबित है। इस बाबत सौ रूपये कि स्टाम्प पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।	(शपथ-पत्र अपलोड करें)
5	GST रजिस्ट्रेशन नम्बर, ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन, पी.एफ रजिस्ट्रेशन/रीजनल प्रोविडेंट ऑफिस द्वारा जारी प्रोविडेंट फण्ड नंबर / राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लैबर एक्ट के तहत जारी लाईसेंस/ रोजगार निदेशालय द्वारा सेवाओं की प्रदायगी हेतु प्रदत्त लाइसेंस, पैन कार्ड, की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।	(साक्ष्य अपलोड करें)
6	न्यूनतम रुपये 50 लाख वार्षिक का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर	(अंकेक्षित साक्ष्य अपलोड करें)
7	गत तीन वर्षों का राजकीय विश्वविद्यालय /राजकीय बोर्ड/शिक्षा बोर्ड एवं समकक्ष शैक्षणिक व प्रशासनिक संस्थाओं में किये गए सुरक्षा प्रहरी आपूर्ति का अनुभव हो, जिसमें कम से कम एक वर्ष राजकीय विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरी आपूर्ति का कार्य होना अनिवार्य है	(संतोषप्रद कार्य बाबत अनुभव प्रमाण पत्र का साक्ष्य अपलोड करें)

(Handwritten signature and initials)



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड, बीकानेर राजस्थान

क्रमांक : प-4 ()/मगसविबी/सा.प्र./वि. निविदा /2018/ 4007


दिनांक : 14.05.18

अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से दो वर्ष के लिए online प्रक्रिया द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रु.	निविदा शुल्क रु
1.	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों पर सुरक्षा प्रहरीयों की आपूर्ति	48.00	96,000/-	400/-

नोट : तकनीकी बिड उन्हीं निविदादाताओं की खोली जाएगी, जिनके द्वारा दिनांक 07.06.18 को अपरान्ह: 01:30 बजे तक निविदा शुल्क की राशि यथा रु.400/- एवं निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट्स कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह, विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम (बीकानेर में देय) तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि रुपए 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट M.D. R.I.S.L, जयपुर (जयपुर में देय) के नाम से कुलसचिव कार्यालय को प्राप्त हो जायेंगे। अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दिनांक 17.05.18 प्रातः 10:00 बजे से वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी। निविदा दस्तावेज विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा स्टेट पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अवलोकनार्थ डाले गए हैं।


कुलसचिव



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(4)

1) निविदादाता द्वारा तकनीकी पात्रता हेतु वांछित शर्तें :

- 1 निविदादाता महानिदेशक पुलिस, निदेशालय नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा से जारी लाईसेन्सधारक होना चाहिए तथा तकनीकी बिड में बिड डाटा शीट, बिड डोक्युमेंट के साथ लाईसेंस की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अपलोड करनी अनिवार्य है।
- 2 डिफेंस सर्विसेज (आर्मी-मिलिट्री/नेवी/एयरफोर्स) से रिटायर्ड व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत एवं संचालित फर्मों से प्राप्त निविदाओं को ही स्वीकार किया जाएगा ।
- 3 निविदा सूचना में वर्णित पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही तकनीकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन) में सफल माने जावेंगे तथा उन्हीं की वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन) में योग्य नहीं पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी। निर्धारित समयावधि में अर्नेस्टमनी, निविदा शुल्क तथा ई-निविदा शुल्क प्राप्त नहीं होने पर निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4 निविदादाता के पास गत तीन वर्षों का राजकीय विश्वविद्यालय /राजकीय बोर्ड/शिक्षा बोर्ड एवं समकक्ष शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं में सुरक्षा प्रहरी आपूर्ति का कार्य किया हुआ होना चाहिए जिसमें राजकीय विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरीयों की आपूर्ति कार्य होना अनिवार्य है । निविदादाता को जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति 8 घंटे की पारी के लिए प्रतिमाह की दर का अंकन BOQ में करना होगा।
- 5 निविदादाता का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए ।

2) निविदा की कार्यावधि

वर्तमान में सुरक्षा प्रहरी प्रदायगी की अवधि दो वर्ष के लिए है । निविदादाता की सेवाएँ संतोषप्रद होने पर परस्पर सहमति से एक वर्ष अथवा नवीन निविदा अनुमोदित होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक के लिये करार की अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

Bin Singh
Dr
Dr



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

3

3) निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की शर्तें एवं कार्य का विवरण :

- वर्तमान में 40 सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता है जिसे किसी भी समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी अपेक्षाकृत युवा (उम्र REXCO/ राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार) , शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, दक्ष होने चाहिए। निविदादाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में स्क्रीनिंग होने के पश्चात उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। तदनुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एक परिचय पत्र जिस पर सुरक्षा प्रहरी का नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर आदि विवरण अंकित हो, दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसका आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा किया जा सकेगा।
- निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरी वार्षिक निविदा के अंतर्गत सामान ही रहेंगे परन्तु अपरिहार्य स्थिति में निविदादाता विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा स्वीकृति लेकर उस सुरक्षा प्रहरी को परिवर्तित कर सकेगा। किसी भी सुरक्षा प्रहरी को 3 दिवस से अधिक extra duty नहीं दी जायेगी।
- जॉब कार्य हेतु उपलब्ध सुरक्षा प्रहरी को निर्धारित गणवेश, कैप, बैटरी, लाठी, परिचयपत्र, सीटी, जूते व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा। कार्यालय द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिदिन निरीक्षण में जितने सुरक्षा प्रहरी बिना उपरोक्तानुसार निर्धारित ड्रेस कोड एवं यंत्र, परिचय पत्र के अभाव में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर अथवा सुरक्षा प्रहरी की duty के दौरान अनुपस्थिति पाए जाने पर दो ड्यूटी चार्ज अनुसार प्रति सुरक्षा प्रहरी की शास्ति आरोपित की जायेगी।
- निविदादाता को दो सुपरवाइजर दिन एवं रात्रि हेतु (जो की जेसीओ या समकक्ष पद की योग्यता एवं अहर्ता रखते हों) को लगाया जाना अनिवार्य होगा जो कि समस्त सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था एवं नियंत्रण करते हुए सुरक्षा प्रहरियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत समय - समय पर विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उनके निर्देशन में कार्य करेगा। सुपरवाइजर का खर्चा विश्वविद्यालय द्वारा REXCO की दर अनुसार निविदादाता को देय होगा।
- प्रत्येक उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के पास डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
- अनुमोदित निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरी का नाम पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर की रव-प्रमाणित सूची कार्य शुरू करने की दिनांक को ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी तथा CHECK IN - CHECK OUT आधार पर स्वयं की bio-metric मशीन लगाकर दैनिक उपस्थिति करवाने की व्यवस्था करेगा तथा चाहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दैनिक प्रिंट उपलब्ध करवाएगा।

(Handwritten signatures)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

6

8. ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा प्रहरी मुख्य कुलानुशासक द्वारा सुपरवाइजर को प्रदत्त ड्यूटी चार्ट के अनुसार Deployed रहेंगे एवं पदस्थापन/स्थान परिवर्तन/अतिरिक्त duty आवंटन मुख्य कुलानुशासक के आदेश अनुसार सुपरवाइजर द्वारा किया जा सकेगा ।
9. विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरीयों द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता, अनुशासनहीनता, दुराचार, अनैतिकता, चोरी की जाती है, साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, जिसकी नियमानुसार क्षतिपूर्ति/हर्जा-खर्चा भी एजेंसी(निविदादाता) द्वारा देय होगा ।
10. विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर सुरक्षात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरी लगाने हेतु फर्म द्वारा असहमति व्यक्त करने पर जमा प्रतिभूति राशि ज़ब्त करते हुए निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी । सुरक्षा प्रहरी द्वारा ड्यूटी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर, समस्त जान माल की सुरक्षा, भवन, वनस्पति एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सुरक्षा प्रहरीयों की होगी ।
11. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कोई भी सुरक्षा प्रहरी बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, कार्य छोड़ता है या संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे तुरन्त हटाना होगा एवं उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा ।
12. निविदादाता उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरी का चाल-चलन, चरित्र अच्छा होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।

15/11/2022



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

4

4) निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवा के तहत किये जाने वाले भुगतान संबंधी शर्तें :

1. निविदादाता द्वारा दी जा रही सेवाओं के बिल प्रत्येक माह की 1 तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा निविदादाता के बैंक खाते में होगा। निविदादाता को पंजाब नेशनल बैंक, विश्वविद्यालय शाखा में प्रथक रूप से खाता खुलवाना होना। प्रत्येक भवन के भवन प्रभारी द्वारा सुरक्षा प्रहरी की 8 घंटे की संतोषजनक सेवा का सत्यापन एवं मुख्य कुलानुशासक द्वारा बिल का प्रमाणन करने के पश्चात ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
2. निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों को देय भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण विश्वविद्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि के विवरण बाबत विश्वविद्यालय की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। कोई शिकायत प्राप्त होने या विवाद पर किये गये भुगतान का विवरण नाम/चैक नम्बर आदि कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
3. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियाँ टीडीएस व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी।
4. जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का प्रतिमाह भुगतान निविदादाता को ही कार्यालय द्वारा किया जावेगा। जॉब कार्य में लगे सुरक्षा प्रहरी किसी प्रकार का भुगतान दावा कार्यालय से माँगने के अधिकारी नहीं होंगे।
5. रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता को होगा।
6. सुरक्षा प्रहरियों को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम दर में रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर विश्वविद्यालय द्वारा बढी हुई न्यूनतम दर की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. निविदादाता को रैक्सको/राज्य सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपनी समस्त सुरक्षा प्रहरियों को नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित सुरक्षा प्रहरियों की राशि से कटौती एवं निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता अपने आगामी के बिल के साथ गत माह के पेटे सुरक्षा प्रहरियों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(Handwritten signatures and initials)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

8

8. निविदादाता द्वारा सुरक्षा प्रहरियों को देय राशि पर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय होगी। सभी प्रकार करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा करवाये गये जीएसटी के चालान की प्रति आगामी के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायगी। जीएसटी की राशि जमा करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल तथा जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में जीएसटी के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

5) निविदादाता के दायित्व :

1. रैक्सकों/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, उपनियम, अधिसूचना एवं दिशा-निर्देश की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा जिनकी पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वो के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. यदि निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये सुरक्षा प्रहरियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
3. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता को होगा इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. समस्त कानूनी दायित्व सेवा उपलब्ध करवाने वाली निविदादाता ऐजेन्सी की होंगे विभाग का इस बाबत कोई दायित्व नहीं होगा।
5. निविदादाता करने वाली संस्था द्वारा प्रीमियम की ही दर दी जानी चाहिए।
6. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य प्रगति, सुरक्षा प्रहरियों हेतु हेल्प लाइन नं० एवं निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर अनुसार भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
7. राज्य में लागू सुरक्षा प्रहरियों के नियमों के अंतर्गत अपने समस्त सुरक्षा प्रहरियों का ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई राशि जमा करवाने का दायित्व निविदादाता का होगा।

(Signature)

(Signature)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(9)

6) विश्वविद्यालय के अधिकार :

1. यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित दर अनुसार भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय इस संबंध में रैक्सको को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और निविदादाता के विरुद्ध सभी प्रकार के वैधानिक/कानूनी नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगी एवं निविदादाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी ।
2. निविदादाता अनुबंधित अवधि में सेवा प्रदाय करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिक््योरिटी/परफोमेंन्स राशि जब करते हुए निविदादाता का आदेश/अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सेवा प्रदाय एजेन्सी की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से प्राप्त दर पर उससे या अन्य एजेन्सी से प्रचलित बाजार दर पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विभाग द्वारा ले ली जावेगी जिसके समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
3. निविदा दाता /सेवाएं किसी अन्य को सबलेट/हस्तान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध/आदेश को बिना किसी सूचना के रद्द/निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
4. निविदादाता को दर अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में बकाया प्रतिभूति राशि एवं अनुबंध किया जाना एवं आदेशानुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एकमुश्त पदस्थापन हेतु साक्षात्कार करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब करते हुये फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी । साक्षात्कार की दिनांक एवं समय पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा ।
- 5- क्रयादेश अनुबंधों की शर्तों को "भंग" करने या संविदा के असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति धनराशि जब करा ली जावेगी इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
6. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा । निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित हैं ।
7. सफल निविदा दाता को नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध एसआर-17 पर करना होगा । जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा, जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा । निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि जब कर ली जायेगी तथा विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि उस स्थिति में यह कार्य बाह्य एजेंसी द्वारा करवा लिया जावेगा एवं विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दोषी फर्म को करनी होगी ।
8. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तों को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।

(Handwritten signatures and initials)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

10

7) अन्य शर्तें:

1. एस.एस.आई. से पंजीकृत फर्मों को धरोहर राशि 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिभूति राशि 1 प्रतिशत नियमानुसार जमा करानी होगी। यह छूट तभी देय हागी जब निर्देशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के तत्संबंधी कार्य के पंजीकरण आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
2. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में बीकानेर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय पर नहीं।
3. समस्त विधि वाद की जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी।
4. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं **Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013** के प्रावधानों के अनुसार होगी।
5. निविदा ई-प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई-प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी। व वित्तीय बिड इसी साइट उपलब्ध वित्तीय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी। वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है। भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व Sppp पोर्टल पर भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

Tsingir Singh



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(11)

रुपए 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता द्वारा जाने वाला शपथ पत्र

समस्त शर्तों का पूर्णतः अध्ययन कर समझ लिया है एवं मुझे समस्त शर्तें स्वीकार हैं। मैं यह सब कार्य पूर्ण होश- हवास एवं पूरी जानकारी प्राप्त करके कर रहा हूँ और यह सनद रहे एवं इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता/त्रुटी पाई जाती है/घोषणा का पालन नहीं किया जा रहा है तो मेरी फर्म पूर्णतया जिम्मेदार होगी, जिसके लिए वैधानिक कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरी फर्म महानिदेशक पुलिस, निदेशालय नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर से लाईसेंस धारक है जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रोविडेंट फंड, ई एस आई, पैन कार्ड, GST प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेज संलग्न अपलोड कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं दिनांक

(Handwritten signature and date)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक-“अ”

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो-





महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

13

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

14

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं ।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है ।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान :

तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपील अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपील अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारीख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा।
अर्थात:
क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
ख: बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
ग: यह विनिश्चय की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं
घ: निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण
ड: गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।
4. **अपील का प्ररूप-** (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्था हैं।

(Handwritten signature and initials)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

16

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 - (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
5. अपील फाइल करने के लिए फीस.-
- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
 - (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.-
- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
 - (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
 - (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
 - (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर







महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके

विरुद्ध अपील की गयी है और

अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,

जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि

संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के

उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी

विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे

अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता

है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....
(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

स्थान :तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

(Handwritten signatures)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार
बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य

यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उक्तथित कुल

मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार-

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के

परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो,

संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी -



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

19

- (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और
- (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.-
सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(Signature)